



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2014/कार्तिक 2, 1936

No. 548]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2014/KARTIKA 2, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 741(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

- (i) मद (i) में, "और स्वच्छता का संवर्धन" शब्दों के पश्चात्, "जिसके अंतर्गत स्वच्छता के संवर्धन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) मद (iv) में, "और जल की क्वालिटी बनाए रखना" शब्दों के पश्चात्, "जिसके अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गंगा सफाई कोष में अंशदान भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/18/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : अनुसूची 7, 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई थी और उसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 130 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के शुद्धिपत्र द्वारा और संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.568 (अ) तारीख 06 अगस्त, 2014 द्वारा भी संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2014

G.S.R. 741(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to Schedule VII of the said Act, namely:—

(i) In item (i), after the words “and sanitation”, the words “including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation” shall be inserted;

(ii) In item (iv), after the words “and water”, the words “including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/18/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The Schedule VII was brought into force with effect from 1st April, 2014 and was amended(effective from 1st April, 2014) vide notification number GSR 130(E) dated 27th February, 2014 and Corrigenda number GSR 261(E) dated 31st March, 2014 and also vide amendment notification number GSR 568(E) dated 6th August, 2014.